महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,	**2. उपाध्यक्ष,**
1. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं मेरठ विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
3. नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, शाहजहांपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 12 सितम्बर, 2023**

विषयः– **सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत संचालित आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.सी. के साथ इन्टीग्रेट किये जाने एवं दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों के संबंध में।**

महोदय,

कृपया सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1684 / नौ–9–2023–ई–1677525 दिनांक 25.08.2023 एवं विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1 के अर्द्ध.शा.प.सं.–1267सा0 / 23–1–23–377सा0 / 17टीसी–2 दिनांक 25.08.2023 **(छायाप्रतियॉ संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.सी. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु परियोजना की मानिटरिंग करते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से 20 सितम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– प्रकरण में लोक निर्माण विभाग के उक्त पत्र दिनांक 25.08.2023 द्वारा सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किये जाने के लिए (1) ब्रेल लिपि में जनसूचना (2) दिव्यांगजन हेतु जेब्रा कासिंग आदि साइनेज (3) दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जनसंस्थानों में रैम्प का व्यवस्थापन आदि कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नियंत्रणाधीन स्थापित निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.सी. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु त्वरित व समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों के लिए (1) ब्रेल लिपि में जनसूचना (2) दिव्यांगजन हेतु जेब्रा क्रासिंग आदि साइनेज (3) दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जनसंस्थानों में रैम्प के व्यवस्थापन आदि के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए तद्नुसार सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 1[illegible]
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. आयुक्त, आगरा, अलीगढ़, बरेली झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल।

3. विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

4. मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।

5. जिलाधिकारी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं मेरठ।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव